



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183114

लेखपत्र का सक्षिप्त विवरण (विक्रय-पत्र)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1- भूमि का प्रकार | - आवासीय |
| 2- वार्ड परगना | - 57 |
| 3- मौहल्ला ग्राम | - कौशिक बिहार ग्राम नूरनगर मेरठ |
| 4- सन्याति का विवरण | - प्लॉट संख्या-45 |
| 5- सन्याति का क्षेत्रफल | - क्षेत्रफल 195.09 वर्गमीटर |
| 6- सड़क की स्थिति | - दिल्ली रोड, मेरठ से 800 मी० अन्दर की ओर |
| 7- प्रतिफल की राशि | - अंकन 11,71,000/- (केवल ग्यारह लाख इकहत्तर हजार रुपये) |
| 8- सर्किल रेट के अनुसार मालियत | - अंकन 11,71,000/- (केवल ग्यारह लाख इकहत्तर हजार रुपये) |

क्रमशः - 2





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183115

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या -1

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी जे0 जी0 537, गंगा नगर, मेरठ बतौर पार्टनर व वास्तो मैसर्स ए0 जे0 एस0 एंजिनेयर्स, मेरठ

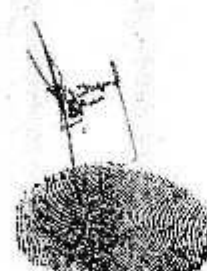
व्यवसाय:- व्यापार

द्वितीय पक्ष की संख्या -1

मैसर्स सरस्वती बिल्डकोन कार्यालय, एस-2, सरस्वती एंग्लोव, शिवाजी रोड मेरठ द्वारा पार्टनर श्री वरुण अग्रवाल पुत्र श्री अनित कुमार निवासी 4, विजय नगर मेरठ

व्यवसाय :- व्यापार

कगश :- 3





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183116

(3)

विक्रयपत्र

विक्रयपत्र अंकन 11,71,000/- रुपये

सकिल रेट के अनुसार अंकन 11,71,000/- रुपये

स्टाम्प शुल्क मय जावारा शुल्क: 82,000/- रुपये ।

विक्रीत प्लाट संख्या-45 क्षेत्रफल 195.09 वर्गमीटर मध्ये खसरा संख्या 293अ व 293ब स्थित जौशिक विहार ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ है जोकि आवासीय है तथा आवासीय प्रयोग के लिये विक्रय किया जा रहा है जिसका सकिल रेट अंकन 6000/- रुपये प्रति वर्गमीटर कलेंडर मेरठ द्वारा निर्धारित है, को दर से स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

कमल - 4



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183549

(4)

विक्रय-पत्र और से श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी जे0 जी0 537, गंगा नगर, मेरठ बतौर पार्टनर व वस्ते मैसर्स ए0 के0 एसोसियेट्स, मेरठ के हैं:-

जोके उपरोक्त प्लॉट संख्या-45 क्षेत्रफल 195.09 वर्गमीटर मध्ये खसरा संख्या 293अ व 293ब स्थित कौशिक विहार ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ के पूर्णतया स्वामी गालिक एवं विक्रयधिकारी विक्रेता फर्म उपरोक्त है तथा मौके पर विक्रयधीन प्लॉट पर विक्रेता फर्म का कानूनी एवं शौचिक जब्जा है। विक्रयधीन प्लॉट को विक्रेता फर्म ने श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गवीन मण्डी स्थल, देहली रोड, मेरठ से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखित दिनांक 25-09-2013 जिसका

कमरा :- 5

25





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183550

(5)

पंजीकरण बही नं० 1 खण्ड 9184 के पेज संख्या 189 से 234 पर क्रम संख्या 13322 पर दिनांक 27-09-2013 को सब रजिस्ट्रार के यहाँ हुआ, के द्वारा कय किया था तथा श्री धर्मनंद कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने उपरोक्त प्लॉट को श्री विजय पाल पुत्र श्री जसवंत सिंह निवासी मकान संख्या-5, जैलाशपुरी, गड रोड, नेरुट से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखित दिनांक 19-12-2000 जिसका पंजीकरण बही नं० 1 खण्ड 1376 के पेज संख्या 351 से 374 पर क्रम संख्या 6514 पर दिनांक 14-12-2000 को सब

क्रमशः :- 6





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183551

(6)

रजिस्ट्रार के यहाँ हुआ, के द्वारा कय किया था उपरोक्त वर्णित विक्रयाधीन प्लॉट आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है जिसकी जमानत पर विक्रेता फर्म ने कोई ऋण या भार किसी बैंक या संस्था सरकारी गैर सरकारी या सोसायटी, विदेशी संस्था या अन्य व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया है और ना ही यह प्लॉट किसी के यहाँ बन्धक है और ना ही इन प्लॉट से सम्बन्धित कोई मुकदमा आदि

क्रमशः - 7

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183552

(7)

किसी भी अदालत में विचारार्थ अथवा लम्बित है। विक्रेता फर्म को उपरोक्त प्लॉट को पूर्ण स्वामी होने के नाते विक्रय-पत्र आदि द्वारा उपरोक्त प्लॉट को हस्तांतरित करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जिसको विक्रय करने में जो कुछ कानूनी दोष बाधक नहीं हैं। अतः विक्रीत प्लॉट व उससे सम्बन्धित राइटों को तथा उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि-आदि सहित भविष्य के लिये किसी भी अधिकार व

कनरा - 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80 183553

(8)

सत्य को अंधे पास रखे बिना चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो स्वस्थ भक्षिक व निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन 11,71,000/- (केवल ग्यारह लाख इक्कीस हजार रुपये) कि जिसके आगे अंकन रुपये 5,85,500/- (केवल पांच लाख पचासी हजार पांच सौ रुपये) होते हैं के विक्रय मूल्य के उपलक्ष में मैसर्स सरस्वती बिल्डकॉन कार्यालय, एस-2, सरस्वती एन्क्लेव, शिवाजी रोड मेरठ द्वारा पार्टनर श्री वरुण अग्रवाल पुत्र श्री अमित कुमार निवासी 4, विजय नगर मेरठ को विक्रय कर

कमरा :- 9





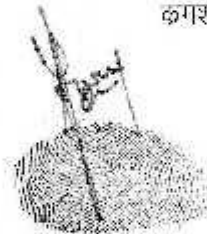
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183554

(9)

दिया और समस्त विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता फर्म से निम्नलिखितानुसार प्राप्त करके, विक्रीत प्लॉट को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता फर्म के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य

क्रमशः :- 10





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 179600

(10)

आदि में देकर उनको अपनी भौति व्यक्तिगत स्वामी एवं विक्रयधिकारी एवं अधिपति बना दिया और अब
विक्रता अध्या उसको किसी उत्तराधिकारीगण, वारिसान, जानिमान का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का

क्रमशः - 11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 179601

(11)

बिक्री प्लॉट से भविष्य के लिये शेड नहीं रहा है। वह बिक्रय-विलेख पूर्णतया उचित एवं वैधानिक एवं प्रचलन योग्य है। बिक्रीत ग्राहक का कतई खाली का अभिप्राय स्थल पर प्लॉट से सम्बन्धित इसमें न

कनरा :- 12





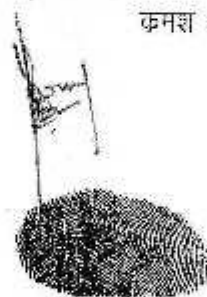
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 179602

(12)

राइटर्स, मार्ग-चूझकों आदि के सभी अधिकारों सहित केला फर्म के सुपुर्द कर दिया है। केला फर्म अधिकारी होंगे कि विक्रीत प्लॉट को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार का निर्माण कराये। यदि

क्रमशः :- 13





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183617

(13)

अब अथवा भविष्य में मुझ दिल्हेता अथवा मेरे उत्तराधिकारीगण, सगा सम्बन्धी रिश्तेदार, बरिस, पुत्र, पुत्री
अथवा कोई खानदानी अथवा अन्य कोई व्यक्ति, उम्मेदवार प्लॉट के सम्बन्ध में कोई बाद विवाद उत्पन्न करे

कमर - 14







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183618

(14)

और उस वर्क पर अथवा किसी वैधानिक त्रुटि अथवा दोष पर रिजिस्ट्रार का कुल या अंश कर्ता फर्म के अधिकार स्थापित एवं अधिकार आदि से निकल जाये अथवा कोई ऋण या भार बिक्रीत प्लॉट पर नया जाये।

क्रमशः - 15

(14)

(14)

(14)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

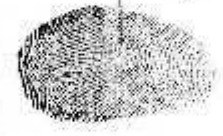
BC 183619

(15)

अथवा विकल्प पत्र निलिखत या स्वामित्व में ऊमी पाये जाने पर किसी न्यायालय से गलत सिद्ध हो जाये तो
ऐसी प्रत्येक स्थानिक दशा में कला कर्म अथवा उसके पार्टनर्स, एडमिनेस्ट्रेटर या उत्तराधिकारी को अधिकार

कनरा :- 16

92





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 183620

(16)

प्राप्त होगा कि वह अपना विक्रय मूल्य सम्पूर्ण या आंशिक जैसी भी दशा में मय बजारी ब्याज व समस्त
हर्जा-खर्चा मुझ विक्रेता व मेरे उत्तराधिकारीगणों की चल व अवल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने
वापस वसूल कर लें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह विक्रयपत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा

क्रमशः - 17



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 251716

(17)

उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। (इति)।

माप व बतुर सीमायें विकीत प्लॉट संख्या-45 मध्ये खसरा संख्या 293अ व 293ब

पूरब 60 फिट

प्लॉट संख्या-44

पश्चिम 60 फिट

सम्पत्ति केता फर्म (परिवारजन)

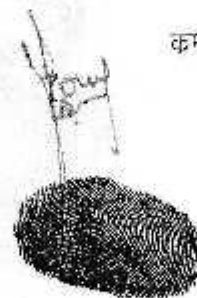
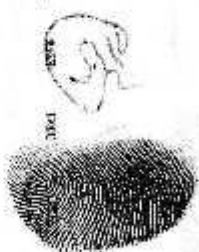
उत्तर 37 फिट

प्लॉट संख्या-49 व 50 सम्पत्ति केता फर्म

दक्षिण 53 फिट

रास्ता 20 फिट चौड़ा

कमरा :- 18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 252068

(15)

1. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 01-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।
2. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 02-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।
3. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 03-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।
4. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 04-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।
5. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 05-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।
6. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 06-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।
7. अंकन 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) दिनांक 07-02-2015 को नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त किये।

कमरा - 19

आज दिनांक 29/04/2015 को

अही सं. 1 जिल्द सं. 10451

पृष्ठ सं. 79 से 122 पर क्रमांक 4760

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम० सी० मिश्र

उपनिबन्धक-तृतीय

मेरठ

29/4/2015

